न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा

[illegible] फारम सं० ५६५ । [स्थायी [illegible]]

[illegible] सं० ५०८ ।

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

([illegible])

SAR- Case No- 11/2018-19 विभाग - विविध

श्री तिलाले बड़ाईक, बनाम [illegible] सं० जिहानु बड़ाईक

[illegible]

क्रम संख्या	कागज का वर्णन	किस तारीख को [illegible] गया	पन्नों की संख्या	[illegible]	[illegible] की [illegible]	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
						8-11-20
						17/04/2021
						28-04-2021
						28/7/2021
						27/10/2021
						29/12/2021
						01.2.2022
						8.3.22
						05/4/22
						26/4/22 / 26-4-22
						5/7/22
						28/7/22
						04/8/22.
						2/9/22
						21/9/22

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

संतलाल बड़ाईक
बनाम
बिहानु बड़ाईक

अनुसूची–14 फारम सं0 562 (विधि शाखा)
आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से .... तक

जिला–सिमडेगा ....सन्....................

केश का प्रकार SAR Case No- 11/2018-19

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
7.2.2019	श्री संतलाल बड़ाईक पिता स्व० लाला बड़ाईक साकिन बैगामटोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया हैं कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी बिहानु बड़ाईक पिता स्व० कलुआ बड़ाईक साकिन बैगामटोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारण–पृक्षा दाखिल करने हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 6-3-2019 को उपस्थापित करें। ग्राम: सिमडेगा — खाता सं0– 133 — प्लॉट सं0 843 — रकबा 0.25 डी. एकड़ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	6-3-2019 12-6-19 31-7-19 18-9-19 12-2-20 8-4-20

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 11/2018–19

दिनांक............................

संतलाल बड़ाईक
बनाम
बिहानु बड़ाईक

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक संतलाल बड़ाईक, पिता–स्व0 लालो बड़ाईक, साकिन–नैगमटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी बिहानु बड़ाईक, पिता–स्व0 कलुआ बड़ाईक, साकिन–नैगमटोली जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–11/2018–19 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सिमडेगा	133	843	0.25 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 54(ii)/विधि, दिनांक 07.02.2019 एवं पत्रांक 248/विधि, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हेाता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 12.06.2019 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–11/2018–19 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 17:58:53 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner